संख्या-67/2021/1017/26-3-2021-44(विविध)/2017

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 30 मार्च, 2021

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2020-21 में संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-595/ज0जा0वि0/2020-21,दिनांक-12.03.2021 एवं पत्रांक-600/ज0जा0वि0/2020-21, दिनांक-12.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के सापेक्ष निर्माण कराये जाने हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 के लेखाषीर्शक 4225-02-796- 0104-24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0-1713.00 लाख के सापेक्ष निम्नानुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु **रू0-388.91 लाख (रू0-तीन करोड़ अटठासी लाख इक्यान्वे हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क0सं0	कार्य का नाम	जनपद	आगणित धनराशि	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 में अवमुक्त धनराशि	शासन द्वारा वर्ष 2019–20 में अवमुक्त धनराशि	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 में अवमुक्त धनराशि	आगणित धनराशि का 5 प्रतिशत रोके जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि	शासन द्वारा वर्ष 2020–21 में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम–इमलिया कोडर में कलुही ग्राम सभा से कर्बला तक तथा बकनाडी चौराहा से जोगिहवा पिच तक पिच रोड का निर्माण	बलरामपुर	155.91	100.00	**100.00**	**55.91**	**7.80**	**48.11**
2	ग्राम–विशुनपुर विश्राम में प्रथमिक विद्यालय के सामने रोड के दोनो तरफ इण्टरलॉकिंग का कार्य	बलरामपुर	126.92	100.00	**100.00**	**26.92**	**6.35**	**20.57**
3	ग्राम–मनसहा में मेन रोड से नहर तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण	बलरामपुर	121.35	100.00	**100.00**	**21.35**	**6.07**	**15.28**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4	ग्राम–इमलिया कोडर में वीरपुर मेन रोड से इमलिया कोडर ग्राम तक पिच रोड का निर्माण	बलरामपुर	205.54	100.00	**100.00**	**105.54**	**10.28**	**95.26**
5	ग्राम–कुदरगुरवा में पिच रोड का निर्माण कार्य	बलरामपुर	125.67	100.00	**100.00**	**25.67**	**6.28**	**19.39**
6	ग्राम–इमलिया कोडर के पुरवा जोगिहवा में इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली का निर्माण	बलरामपुर	129.10	100.00	**100.00**	**29.10**	**6.46**	**22.65**
7	ग्राम–धौतिहवा में विभिन्न स्थानों पर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण	बलरामपुर	173.69	80.00	**80.00**	**3.69**	**8.68**	**85.01**
8	ग्राम–बड़का भुकुरवा में पिच रोड का निर्माण	बलरामपुर	107.41	60.00	**60.00**	**47.41**	**5.37**	**42.04**
9	जनजाति ग्राम–खौगई भुसहर में खौगई पश्चिम से भुसहर तक पिच रोड का निर्माण	बलरामपुर	105.89	60.00	**60.00**	**45.89**	**5.29**	**40.60**
							योग–	**388.91**

(रू0–तीन करोड़ अठ्ठासी लाख इक्यान्वे हजार मात्र)

(1)- निदेशक, जनजाति विकास द्वारा क्रमांक-1 से 7 तक के कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको, लखनऊ एवं क्रमांक-8 एवं 9 हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0सी0एल0डी0एफ0, लखनऊ को स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, जनजाति विकास का होगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)- उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(5)- उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)- धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(7)- कार्यदायी संस्था द्वारा अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश के आलोक में लो0नि0वि0 द्वारा निर्धारित दर 6.875 लिया जायेगा एवं आगणन लो0नि0वि0/के0लो0नि0वि0 की दर पर तकनीकी स्वीकृति समक्ष स्तर से प्राप्त कराकर कार्य प्रांरभ किया जायेगा।

(8)- उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की मात्राओं, गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(9)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10)- जिस मद में धनराशि अन्तरित की जा रही है, उस मद में धनराशि की उपलब्धता निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(11)- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12)- परियोजना की लागत में टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13)- यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मा ॅनिटरिंग भी की जायेगी।

(14)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(15)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

(16)- प्रश्नगत कार्यों में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020 दिनांक-12-05-2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही पंचायत चुनाव हेतु लागू आदर्श आचार संहिता के आवश्यक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये जिला इकाइयों के संचालन हेतु अनुदान-24-वृहत निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

पृसं0-67/2021/1017 (1)/26-3-2021 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रबंध निदेशक, यू0पी0सी0एल0डी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
10 गार्डफाइल

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in